M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2013

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4
No. of Printed Pages : 4

लेखन एवं संक्षेपण
तृतीय प्रश्न–पत्र
ARTICLE & SUMMARY WRITING
Third Paper

समय – 1.30 घण्टे
Time Allowed – 1.30 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

Instructions/निर्देश :–

1. All questions are compulsory. Please, adhere to the words limit of answer where it is given with the question. Violation may lead to minus marking.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहॉ प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।
2. Write your Roll Number in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary sheet. Any attempt to disclose Roll No. or Identity in any form, in any other part thereof, shall disqualify the candidate.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी अन्य भाग पर रोल नम्बर अथवा पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवार निरर्हित हो जायेगा।
3. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for the 3rd Question Paper. Answers given on other Answer-sheets may not be valued.
इस प्रश्न पत्र के उत्तर, केवल तृतीय प्रश्न पत्र हेतु दी गई उत्तर–पुस्तिका में ही लिखें। अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer-book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q. 1. Write an article in Hindi or English, in about 150 words, on any one of the following topics (Social) :
निम्नलिखित विषयों (सामाजिक) में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लगभग 150 शब्दों में लेख लिखिए : **अंक–30**

(i) Media Trial
समाचार माध्यमों के जरिये विचारण

(ii) Problems of old age in India
भारत में वृद्धावस्था की समस्याएं

2- Write an article in Hindi or English, in about 150 words, on any one of the following topics (Legal)
निम्नलिखित विषयों (विधिक) में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लगभग 150 शब्दों में लेख लिखिए : **अंक–20**

(i) Witness Protection साक्षी संरक्षण

(ii) Competency of a child witness. बालक साक्षी की सक्षमता ।

3- Summarize the following passage into Hindi (In 150 words)

निम्नलिखित गद्यांश का हिन्दी में संक्षिप्तीकरण कीजिए (150 शब्दों में) : अंक–20

1. वादी एवं प्रतिवादी जबलपुर शहर के निवासी होकर पूर्व परिचित हैं ।

2 प्रतिवादी के स्वत्व एवं आधिपत्य का मकान नंबर 339, सिविल लाईन्स, जबलपुर में स्थित है, जिसका प्रतिवादी पंजीकृत स्वामी है और नगर निगम, जबलपुर के संपत्ति संबंधी अभिलेखों में भी प्रतिवादी का नाम भवन स्वामी के रूप में दर्ज है ।

3. प्रतिवादी को पुत्री के विवाह के लिए रूपयों की आवश्यकता होने से उसने उक्त मकान को विक्रय करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रस्ताव आमंत्रित किये । इस पर वादी ने प्रतिवादी से मिलकर उक्त मकान क्रय करने का आशय व्यक्त किया, जिस पर उभयपक्ष के मध्य इस संबंध में सहमति होने से आपसी शर्तें तय कर उनके आधार पर दिनांक 12.12.12 को विधिवत् एक विक्रय अनुबंध पत्र उभयपक्ष द्वारा निष्पादित किया गया ।

4. प्रतिवादी ने उक्त मकान वादी को 5 लाख रूपये में विक्रय करने का सौदा कर विक्रय अनुबंध दिनांक को ही इस हेतु अग्रिम बयाना राशि रूपए 2 लाख प्राप्त कर उसकी अभिस्वीकृति अनुबंधपत्र में ही दी और शेष विक्रय राशि 3 लाख रूपए अनुबंध दिनांक से 6 माह की अवधि में उक्त मकान का आधिपत्य देते हुए विक्रय रजिस्ट्री कराये जाने के समय देना तय किया था ।

5. वादी ने प्रतिवादी की पुत्री के विवाह उपरान्त प्रतिवादी को समय–समय पर कई बार मौखिक सम्पर्क कर शेष विक्रय राशि प्राप्त कर उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री वादी के पक्ष में कराने को कहा, लेकिन प्रतिवादी कोई न कोई कारण बता नियत समय में रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देता रहा, लेकिन विक्रय रजिस्ट्री नहीं की गई ।

6. जब विक्रय अनुबंध में विक्रय रजिस्ट्री के लिये नियत समय सीमा निकट आने लगी, तो वादी ने प्रतिवादी को अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त विक्रय अनुबंध अनुसार शेष राशि प्राप्त कर उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री वादी के पक्ष में निष्पादित करवाने और मकान का रिक्त आधिपत्य दिये जाने हेतु एक रजिस्टर्ड सूचना पत्र 3 जून, 2013 को भेजकर प्रतिवादी को उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री के निष्पादन हेतु उपपंजीयक कार्यालय, जबलपुर में दिनांक 11 जून, 2013 को सुबह 11.00 बजे उपस्थित होने की सूचना दी । ऐसा सूचना पत्र प्रतिवादी को दिनांक 6–6–13 को प्राप्त हो गया, लेकिन इसके उपरान्त भी वह नियत दिनांक 11–6–13 को उप पंजीयक के जबलपुर स्थित कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही इसका कोई जवाब दिया । वादी को यह युक्तियुक्त आशंका हो गई है कि प्रतिवादी ऐसी विक्रय संविदा की शर्तों का पालन न करते हुए उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री अन्य किसी को कराते हुए वादी को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है ।

7. प्रतिवादी विक्रय अनुबंध की शर्तों के अनुसार पालन न करते हुए वादी के पक्ष में उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है और न ही उक्त मकान का आधिपत्य वादी को सौंप रहा है । इन परिस्थितियों में प्रतिवादी के विरूद्ध विक्रय अनुबंध के विशिष्ट अनुपालन, प्रतिकर एवं विकल्प में विशिष्ट अनुपालन नामंजूर किये जाने पर बयाने की राशि ब्याज सहित वापस लौटाये जाने के अनुतोष हेतु न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है ।

8. वाद कारण दिनांक 12–12–12 को विक्रय अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात् से निरंतर प्रतिवादी को समय–समय पर मौखिक और रजिस्टर्ड सूचना पत्र के द्वारा विक्रय रजिस्ट्री के लिये कहे जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा विक्रय रजिस्ट्री न करवाना और अंततः दिनांक 11 जून 2013 को उपपंजीयक कार्यालय, जबलपुर में विक्रय रजिस्ट्री के लिए बिना किसी कारण के उपस्थित न होने से उत्पन्न हुआ है । वाद विहित समयावधि में प्रस्तुत है और वाद का मूल्यांकन 5 लाख रूपए करते हुए उस पर उसी अनुरूप देय स्टाम्प शुल्क 60 हजार रूपए चस्पाकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विवादित मकान तहसील व जिला जबलपुर में स्थित होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार और मूल्यांकन अनुसार श्रवणाधिकार का है ।

9. अतः वादी को निम्न अनुतोष दिलवाये जाने की प्रार्थना है–

(ए) प्रतिवादी को निर्देशित किया जाए कि वह उक्त विवादित मकान की विक्रय रजिस्ट्री, वादी के व्यय पर वादी से शेष विक्रय राशि 3 लाख रूपए प्राप्त कर, करवाये और उक्त विवादित मकान का रिक्त आधिपत्य वादी को सौंपे । प्रतिवादी के विफल रहने पर इसी अनुरूप विक्रय रजिस्ट्री न्यायालय के माध्यम से वादी के पक्ष में निष्पादित कराते हुए उसे उक्त विवादित मकान का रिक्त आधिपत्य दिलवाया जाए, जिसके लिए आवश्यक व्यय वादी वहन करने को तत्पर है ।

(बी) चूंकि प्रतिवादी द्वारा विक्रय अनुबंध में अनावश्यक विलंब करते हुए उसको भंग करने का प्रयास किया गया है । अतः प्रतिवादी से वादी को प्रतिकर राशि, जो न्यायालय उचित समझे, भी अतिरिक्त रूप से दिलवाई जाए ।

विकल्प में

यदि न्यायालय विक्रय संविदा का विशिष्ट अनुपालन नामंजूर करता है तो वादी को प्रतिवादी से अनुबंध अनुसार दी गई अग्रिम बयाने की राशि 2 लाख रूपए मय अनुबंध दिनांक से अदायगी तक के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित वापस दिलायी जाए ।

(सी) वादी को प्रतिवादी से इस वाद का सम्पूर्ण व्यय दिलवाया जाए ।

4- Translate the following 15 Sentences into English :-

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए : **अंक–30**

1 अभियुक्त दीपक पर धारा 307 भा0दं0सं0 का यह आरोप है कि उसने दिनांक 3–12–09 को दोपहर के लगभग 2.00 बजे सिद्धार्थ नगर, ईटावा, देवास में अभियुक्त मांगीलाल के साथ अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी रतनलाल को चाकू से उपहति ऐसे आशय से अथवा ज्ञान सहित एवं ऐसी परिस्थितियों में कारित की, कि यदि उसके उपरोक्त कृत्य से रतनलाल की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता ।

2 परिवादी रतनलाल जिलाधीश कार्यालय, देवास में चपरासी के पद पर कार्यरत् है ।

3 अभियुक्त मांगीलाल ने परिवादी रतनलाल को पकड़ लिया तथा अभियुक्त दीपक ने चाकू से उसकी गर्दन पर पीछे से वार किया ।

4 यदि हां, तो क्या अभियुक्त दीपक के द्वारा उपरोक्त चोटें अभियुक्त मांगीलाल के साथ अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित की गई थी तथा अभियुक्त मांगीलाल के द्वारा उपरोक्त आपराधिक कृत्य में अभियुक्त दीपक को उकसाकर तथा रतनलाल को पकड़कर दीपक को सहयोग दिया गया था ?

5 उनके अभिमत में उपरोक्त सभी चोटें किसी कठोर एवं धारदार उपकरण से परीक्षण से 6 घन्टे की अवधि के भीतर आई थी ।

6 इस संबंध में सर्वप्रथम अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विद्यमान चक्षुदर्शी साक्ष्य पर विचार किया जाएगा ।

7 दिनांक 12.03.2009 को दोपहर के लगभग 2.00 बजे रतनलाल ड्यूटी से अपने घर खाना खाने के लिए आया था, इस तथ्य की पुष्टि राजूबाई (अ0सा0 4) तथा (अ0सा0 5) निशा ने भी की है ।

8 अभियोजन के लिए यह भी आवश्यक नहीं था कि वह परिवादी का कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, क्योंकि अभियोजन का यह प्रकरण नहीं है कि परिवादी पर उसके पदेन कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान हमला किया गया था।

9 इस न्यायदृष्टांत में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा यह धारित किया गया है कि जहां दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए हों, वहां पहला प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जिसके आधार पर पुलिस मशीनरी के द्वारा अन्वेषण प्रारम्भ किया गया था, वास्तविक प्रथम सूचना प्रतिवेदन माना जाएगा ।

10 इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्ठांत **महेश दत्त मिश्रा वि0 म0प्र0 राज्य, 1995 (II) M.P.W.N. नोट 182** की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह धारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा न केवल परिवादी की ओर से नामित साक्षीगण का परीक्षण करना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र साक्षीगण का भी परीक्षण करना चाहिए।

11 इन परिस्थितियों में यह असंभाव्य प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति को चाकू से इस प्रकार की चोटें पहुंचाई गई हो, वह वास्तविक आक्रमणकारी को बचाकर अपने पड़ोसी को मात्र इस आधार पर घटना में मिथ्या आलिप्त कर देगा कि वह अपने पड़ोसी का घर हड़पना चाहता है।

12 विधि की यह एक सुस्थापित स्थिति है कि जहां साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेहों से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित कर दिया गया हो, वहां हेतु का अभाव अथवा उसकी अपर्याप्तता कोई मायने नहीं रखती है।

13 बृजेश सिंह कुशवाह (अ0सा0 10) का यह भी कथन है कि उसने परिवादी रतनलाल के रक्त रंजित कपड़े तथा जप्त मिट्टी को रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक, देवास के ज्ञापन के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर भेजा था ।

14 डॉ0 एस0एस0 मालवीय (अ0सा0 8) का कथन है कि आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, देवास के द्वारा उनसे इस आशय का अभिमत चाहा गया था कि क्या उपरोक्त चाकू से आहत को आई चोटें कारित होना संभव है ?

15 परिणामतः अभियुक्त दीपक को धारा 307 भा0दं0सं0 के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है, परंतु अभियुक्त मांगीलाल को संदेह का लाभ देते हुए धारा 307 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

****